निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 79 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के माह 07/2016 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अक्षय कुमार एवं श्री सुनील कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,एवं श्री अंकित पांडे लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12/11/2018 से 15/11/2018 तक ....वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** प्रथम लेखा परीक्षा है।

(iii) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: जनपद पिथौरागढ़ एवं चंपावत के वृत्तीय कार्यालयों एवं खण्डो द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की निगरानी एवं नियंत्रण सम्बन्धी कार्य।

(iv) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	-	-	-	-						-
2016-17	-	-	25.97	25.28						0.69
2017-18	-	-	39.18	30.8						8.37
2018-19			63.06	42.01						21.04

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(v) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः (संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाये)

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियंता
4. अधीक्षण अभियंता
5. अधिशासी अभियंता

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2018, 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः1 - विभागीय उदासीनता के कारण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के 02 से 11 वर्ष बाद भी कार्य अपूर्ण रहना ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के प्राविधिक स्वीकृति से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि रु 2203.81 लाख लागत के निम्न कार्यो की प्राविधिक स्वीकृति उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के **01 से 11 वर्ष** पश्चात प्रदान की गयी। जिसके कारण महत्वपूर्ण कार्यो के क्रियावयन मे देरी हुई तथा जनता को संबन्धित मार्गो के लाभ से वंचित रहना पड़ा ।

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख मे)	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	विलम्ब	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	राज्य योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ के गगोलीहाट मे हलियाडोब लछिमा औखरानी नाचनी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	288.00	07.06.2005	22.12.2016	10 वर्ष 5 माह	अपूर्ण
2	मा०मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत टनकपुर-झुलघाट -जौलजीवी मोटर मार्ग के अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	351.00	31.03.2010	30.12.2016	5 वर्ष 8 माह	अपूर्ण
3	टी एस पी के अंतर्गत पिथौरागढ़ मे मदकोट-बौना हल्का मोटर मार्ग मे परिवर्तित करने एवं किमी 2 मे 30 मी० स्पान स्टील गर्डर सेतु निर्माण कार्य	267.30	30.03.2005	22.12.2016	10 वर्ष 5 माह	अपूर्ण
4	जनपद पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम (चौदास घाटी) मे निरक्षण भवन के निर्माण का कार्य	379.49	22.11.2016	24.09.2018	3 वर्ष 3 माह	अपूर्ण
5	मा०मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत पिथौरागढ़ के धारचूला मे मवानी से आलम दारमा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	485.59	18.10.2016	07.04.2018	2 वर्ष 3 माह	अपूर्ण
6	मा०मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत पिथौरागढ़ के धारचूला मे बरा से धामीगाव तक मोटर मार्ग का निर्माण एवं कच्चा ड्रेन का कार्य	432.43	31.08.2016	25.04.2018	1 वर्ष 6 माह	अपूर्ण
	कुल	**2203.81**				

लेखा परीक्षा द्वारा बिन्दु इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय द्वारा संबन्धित अधिशासी अभियंताओ से इस संबंध मे आख्या मागी जायेगी। अभी तक इस संबंध मे कोई पत्राचार नही किया गया है।

लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि उक्त सभी कार्यो की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा ही प्रदान की गयी थी तथा उक्त कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत के **02 से 11 वर्षो** बाद भी लेखापरीक्षा तिथि तक भी कार्य पूर्ण नही किए गए थे। तथा न ही मुख्य अभियंता द्वारा संबन्धित खण्डो/circle कार्यालयो को कार्यो की प्राविधिक स्वीकृति विलंब से प्रेषित न करने एवं कार्यो को समय से पूर्ण करने हेतु कोई भी निर्देश जारी किया गया था।

जिसके कारण इतने वर्षो पश्चात भी संबन्धित जनता को मार्गो का लाभ नही मिल पा रहा था। जो कार्यो के प्रति विभागीय उदासिनता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 ठेकेदार को लाभ पहुँचाने हेतु कम अर्थदण्ड लगाया जाना।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि०(पि०क्षे०) पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा (11/2018) के दौरान समय वृद्धि अभिलेखों की नमूना जांच में अनुबंध संख्या 3/पी०आइ०यू० दिनाक 2/5/2014, रु० 21,52,586/= के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा कार्य कालिका बजानी खुमती हल्का वाहन मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग में समरेखन परिवर्तन कर मार्ग निर्माण (चै० 3.950 से 4.425) का कार्य 314 दिन विलंभ से पूरा करने पर ठेकेदार को समय वृद्धि की स्वीकृति से संबन्धित प्रकरण का अवलोकन करने पर निम्न बिन्दु प्रकाश में आये :

1. कार्यालय के पत्रांक 1199/59 याता पि०क्षे०3/2018 दिनाक 30.07.2018 द्वारा ठेकेदार को समय वृद्धि की स्वीकृति दिनाक 8/5/2015 तक (314 दिन) 2.5% अर्थदण्ड के साथ प्रदान की गयी है ।
2. ठेकेदार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनाक 21.06.2014 में अधिक वर्षा होने के कारण दिनाक 31.03.2015 (283 दिन) तक समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रार्थना की थी । यानि ठेकेदार को पहले से ही 283 दिन वर्षा के कारण कार्य प्रभावित रहने का अनुमान था ।
3. समय वृद्धि से संबन्धित सहायक अभियन्ता की संस्तुति से स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा कार्य धीमी गति से किया गया है ।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत लो०नि०वि॰ पिथौरागढ़ ने कार्य पूर्ण होने की तिथि दिनाक 8/5/2015 यानि 3 वर्ष बाद , पत्रांक संख्या 6102/503 सी-3/2018 दिनाक 25/7/2018 दावरा ठेकेदार को 2% अर्थदण्ड के साथ समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने हेतु संस्तुति कार्यालय मुख्य अभियन्ता लो०नि०वी०(पि०क्षे०) पिथौरागढ़ को प्रेषित किया । इस संबंध में कार्यालय द्वारा समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता से प्रकरण 3 वर्ष विलंभ से प्रस्तुत किए जाने का स्पष्टीकरण मांगा गया है ।
5. कार्यालय द्वारा समय वृद्धि की स्वीकृति दिनाक 8/5/2015 तक 2.5 % अर्थदण्ड के साथ प्रदान करते समय न तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत समय वृद्धि हेतु पार्थना पत्र में अनुमानित 283 दिन तक वर्षा होने के आधार का और न ही सहायक अभियन्ता की संस्तुति में ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने का संज्ञान लिया गया है जिस से यह सपष्ट होता है कि कार्यालय द्वारा ठेकेदार को लाभ पुहचाने हेतु ठेकेदार के विरुद्ध प्रावधानित 10%(GPW-9) के सापेक्ष मात्र 2.5% अर्थदण्ड के साथ समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

उक्त की और इंगित करने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बतलाया कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के विरुध 2% अर्थदण्ड कि संस्तुति कि गई थी जिसको इस कार्यालय द्वारा 2.5% (0.5%) की बढ़ोतरी करते हुये स्वीकृत किया गया ।

कार्यालय का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही है क्योंकि मुख्य अभियन्ता के कार्यक्षेत्र में कार्यालय के अंतर्गत अधीक्षण अभियन्ता एवं खण्डो द्वारा कराये जारहे कार्यो की monitoring करना है । इस कारण कार्यालय द्वारा बिना सहायक अभियन्ता की संसुति एवं ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत समय वृद्धि हेतु प्रार्थना पत्र का अवलोकन/संज्ञान लिये बिना ही समय वृद्धि की स्वीकृति 10% के सापेक्ष मात्र 2.5% अर्थदण्ड के साथ प्रदान करने एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कार्य पूर्ण होने के 3 वर्ष बाद समय वृद्धि प्रकरण प्रस्तुत किए जाने का स्पष्टीकरण प्राप्त होने से पूर्व ही समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करना यह दर्शाता है कि ठेकेदार को लाभ पुहचाने हेतु ऐसा किया गया है ।

भाग -03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री ई॰ सत्येन्द्र शर्मा	मुख्य अभि.	10/07/16 से 16/01/18 तक।
2.	श्री ई॰ के. पी. जोशी	मुख्य अभि.	16/01/18 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II